

राजस्थान सरकार

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग

क्रमांक: प.25(33)आयु./2021


जयपुर, दिनांक :- 27 JUN 2022

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक प. 25(33)आयु./2011 दिनांक 30.01.2013 को प्रत्याहरित कर मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक 59/2022 के अनुसरण में राजकीय आयुर्वेद "अ" श्रेणी चिकित्सालय, पूंजला एवं आयुर्वेद नर्स-कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्र, पूंजला, जोधपुर को डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर से पुनः राज्य सरकार (आयुर्वेद विभाग के अधीन) को हस्तांतरित किया जाता है।

इस संबंध में निम्नानुसार आज्ञा जारी की जाती है-

1. राजकीय आयुर्वेद अ-श्रेणी चिकित्सालय पूंजला एवं आयुर्वेद नर्स कम्पा. प्रशिक्षण केन्द्र पूंजला-जोधपुर का भवन मय परिसर तथा विवाद रहित चार बीघा भूमि विश्वविद्यालय से पुनः राज्य सरकार (आयुर्वेद विभाग के अधीन) को हस्तान्तरित की जाती है।
2. विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित कुल 24 पदों पर प्रतिनियुक्त राज्यकर्मियों की प्रतिनियुक्ति निरस्त कर मूल विभाग में लौटाया जाता है साथ ही वित्त विभाग की आई.डी. क्रमांक 102203368 दिनांक 17.06.2022 के अनुसरण में उक्त हस्तान्तरित 24 पदों को विश्वविद्यालय से कम करके आयुर्वेद विभाग में सृजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. इस आदेश के जारी होने की तिथि से विश्वविद्यालय को विभागीय आदेश प. 25(33)आयु./2011 दिनांक 30.01.2013 के अनुसरण में दिया जाना वाला अनुदान देय नहीं होगा एवं विश्वविद्यालय को पूर्व में जारी अनुदान में से इस आदेश के जारी होने की तिथि तक व्यय की गई राशि के अतिरिक्त शेष राशि यदि कोई हो, तो इसे राज्य सरकार को लौटायी जावेगी।
4. इस आदेश के जारी होने की दिनांक से उक्त दोनों संस्थाओं पर राज्य सरकार (आयुर्वेद विभाग) का नियंत्रण होगा।


(विनीता श्रीवास्तव)
शासन सचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, आयुष विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग,
5. निजी सचिव, शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय, शासन सचिवालय
6. निजी सचिव, शासन सचिव, आयुष विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. जिला कलेक्टर, जोधपुर
8. उपशासन सचिव, आयुष विभाग
9. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर को देकर लेख है कि विश्वविद्यालय से समन्वय कर पालना सुनिश्चित करावें।
10. कुलसचिव, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर को देकर लेख है कि उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
11. अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद विभाग, संभाग-जोधपुर
12. प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेद नर्स कम्पा. प्रशिक्षण केन्द्र एवं संबद्ध अ श्रेणी राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय मगरा पूंजला-जोधपुर।
13. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय (शहरी), जोधपुर
14. उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग, जोधपुर।
15. संबंधित अधिकारीगण।
16. रक्षित पत्रावली।

महायक शासन सचिव

राजस्थान-सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान-अजमेर

क्रमांक प01/प्रति-1/चिकि./पद/स्थाना/2017/12533

दिनांक: 27-6-22

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप शासन सचिव, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग राजस्थान-जयपुर।
2. कुलसचिव, डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर।
3. मुख्यलेखाधिकारी, निदेशालय आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
4. अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद विभाग, संभाग-जोधपुर।
5. उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग, जोधपुर को दी जाकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करा कर की गयी कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें।
6. प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्र एवं संबद्ध अ श्रेणी राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय मगरा पूंजला-जोधपुर।
7. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जोधपुर।
8. प्रोग्रामर, निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान-अजमेर को संबंधित कार्यालयों को जरिये ई-मेल एवं वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।
9. सामान्य पत्रावली।

(डॉ आनन्द कुमार शर्मा)
निदेशक